इटावा पुलिस

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक- 29.03.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 06 वर्ष 7 माह का कारावास एवं 3000/- रू का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 06 वर्ष 7 माह का कारावास एवं 3000/- रू का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.08.2017 को वादी अबरार खान पुत्र तोहा खान निवासी उर्दु मोहल्ला थाना कोतवाली इटावा ने अज्ञात चोरों द्वारा उसके गोदाम से एलईडी टीवी, एक्जोस्ट एव अन्य सामाग्री चोरी करने के संबंध मे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर तहरीरी सूचना दी, जिसके आधार पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर **मु0अ0सं0 553/2017 धारा 457/380/411 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह भाटी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम पैरोकार का0 दिनेश कुमार एवं मानीटरिंग सैल व सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अशुतोष सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 29.03.2024 को अन्तर्गत धारा 457/380/411 भादवि में मा0 न्यायालय श्रीमान सीजेएम इटावा द्वारा 06 वर्ष 7 माह का कारावास व 3000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. गौरव मिश्रा उर्फ सोनू पुत्र बद्री मिश्रा निवासी टोकपुरा थाना कोतवाली देहात जिला भिण्ड मध्य प्रदेश।